हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

पत्रावली पेश हुई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी श्री दीपचन्द पुत्र श्री मोहनलाल बाजिया जाति जाट निवासी– ग्राम पोस्ट – ठिकरिया, तह– खण्डेला, सीकर, मैसर्स– विनायक जनरल स्टोर, बीकानेर बस स्टैण्ड, रींगस–सीकर, उपस्थित हुये। अप्रार्थी ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा दिनांक 04.08.2021 को समय 2:15 पी.एम. पर रींगस सीकर, में निरीक्षण के लिए पंहुचे। निरक्षण के दौरान विक्रय किये जा रहे फर्म मैसर्स विनायक जनरल स्टोर, बीकानेर बस स्टैण्ड, रींगस–सीकर, में अप्रार्थी श्री दीपचन्द बेसन (तनसुख) का विक्रय कर रहा था। विक्रेता को मैनें अपना परिचय दिया व उनके नाम व पता पूछा जो उन्होनें बताया। अप्रार्थी श्री दीपचन्द से वर्ष 2021 का खाद्य पदार्थ अनुज्ञा पत्र के बारे में पूछा गया तो विक्रेता ने मौके पर खाद्य लाइसेन्स वर्ष 2021 होना बताया।

फर्म पर श्री दीपचन्द द्वारा बेसन (तनसुख) का विक्रय किया जा रहा था। फर्म पर उपलब्ध लकड़ी के रेक में 500 ग्राम 20 सिलबन्ध बेसन (तनसुख) थैलियों के स्टोक में से वास्ते नमूना जांच हेतु नमूना लेने के लिए कहा व फार्म नम्बर 5ए की प्रति तैयार कर नमूना लेने कि सूचना दी तथा प्राप्ति रसीद ली। नमूना जांच 500 ग्राम की चार सिलबन्ध थैलियां बेसन (तनसुख) खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता को 200 रु नगद देकर रसीद प्राप्त कि जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है। तथा उपस्थिति गवाहन के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं ने हस्ताक्षर किये। उक्त नमूना **मिथ्याछाप** पाया गया।

प्रार्थी व अप्रार्थी को सुना गया एवं पत्रावली व पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी नम्बर एफ–2351 खाद्य पदार्थ बेसन (तनसुख) का नमूना लिया गया। राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोग शाखा जयपुर कि रिपोर्ट के अवलोकन से प्रकरण **मिथ्याछाप** पाया गया। अमानक खाद्य पदार्थ बेसन (तनसुख) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(1) का उल्लंघन पाया गया। यह कृत्य लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने जैसा है साथ ही अप्रार्थी को आर्थिक दण्ड दिया जाना आवश्यक है तांकि भविष्य में ऐसी गलती करने से बाज आये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2023.10.18 11:00:27 IST
Reason: SelfAttested

(अनिल कुमार)
अतिरिक्त जिला ...
एवं अति. जिला ...
नीमकाथाना

Scanned with OKEN Scanner

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
अतः खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 तथा नियम 2011 की धारा 52 के तहत अप्रार्थी को 41,000 रू के जुर्माने से दण्डित किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि जूर्माना राशि हैड 0210–04–800–03–00 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत राज्यकोष में जरीये चालान जमा करावें एवं जमा राशि कि एक प्रति इस न्यायालय में पेश कि जावे। जूर्माना राशि जमा नहीं कराने पर अप्रार्थी के विरूद्ध खाद्य अधिनियम के तहत कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। आदेश आज दिनांक 25.11.2022 को सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो। (अनिल कुमार) अति. जिला कलक्टर, नीमकाथाना सीकर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2023.10.18 11:00:27 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner